भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

प्रेस नोट

सं. पी.एन/ईसीआई/25/2017 दिनांक: 9 मार्च, 2017

विषय: स्ट्राँग रूमों एवं मतगणना केन्द्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था:

5 राज्यों के राज्य विधान-सभा निर्वाचनों के लिए मतदान हाल ही में सम्पन्न हुआ है और मतगणना 11 मार्च, 2017 को होगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदानों का संचालन करने के अपने प्रयास में भारत निर्वाचन आयोग ने अनगिनत उपाय किए हैं, स्ट्राँग रूम में और मतगणना प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के भंडारण के संबंध में विभिन्न सुरक्षापरक मुद्दों से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदेशों और दिशा-निर्देशों को जारी करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के तंत्र एवं पद्धतियां स्थापित की हैं। इसके अलावा, आयोग ने इस संबंध में समग्र निर्वाचकीय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित अनुदेश भी जारी किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

मतदान सम्पन्न होने के बाद स्ट्राँग रूमों में ईवीएम और संगत दस्तावेजों के भंडारण के लिए सुरक्षापरक व्यवस्थाएं:

निर्वाचन में इस्तेमाल के निमित्त कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट उचित सुरक्षा के अधीन आर.ओ. के स्ट्राँग रूम में अलग से ले जाई जाएंगी और 24X7 पहरे में रखी जाएंगी। स्ट्राँग रूम सील करने के समय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं और वे ताले पर अपनी मुहर भी चिपका सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों को पहले से ही लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

स्ट्राँग रूम में केवल एक प्रवेश बिंदु एवं डबल लॉक सिस्टम होना चाहिए। एक चाभी रिटर्निंग अधिकारी के पास और दूसरी संबंधित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए। स्ट्राँग रूमों के अन्य प्रवेश बिंदु (खिड़कियां सहित) इस तरीके से सील किए जाने चाहिए कि किसी व्यक्ति की भी स्ट्राँगरूमों के भीतर अभिगम्यता नहीं रहे।

ईवीएम वाले स्ट्राँग रूम के प्रवेश-बिंदु पर चॉबीसों घंटे सीसीटीवी कवरेज होगा। सुरक्षा कार्मिक द्वारा एक लॉग बुक बनाए रखी जाएगी जिसमें स्ट्राँग रूम के निकट प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की तारीख, समय, कालावधि और नाम के बारे में प्रविष्टि की जाएगी। इसमें प्रेक्षकों या जिला निर्वाचन अधिकारियों या पुलिस अधीक्षकों या राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों या उनके एजेंटों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले दौरे शामिल हैं।

मतगणना केन्द्र/हॉल तैयार करना:

मतों की गणना एक या अधिक मतगणना हॉलों से बने मतगणना केन्द्रों में की जाएगी। प्रत्येक मतगणना हॉल चारों तरफ दीवारों से घिरा, अधिमानत: अलग-अलग प्रवेश एवं निकास सुविधाओं के साथ, एक पृथक कक्ष होगा। प्रत्येक मतगणना केन्द्र की एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी और उसके भीतर प्रत्येक मतगणना हॉल की भी एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी।

प्रत्येक मतगणना हॉल में अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार होंगे जिनकी विधिवत रूप से पहरेदारी की जाएगी। जहां पूर्व-निर्मित अलग-अलग कमरे उपलब्ध नहीं हों लेकिन बड़े कमरों को हॉल बनाने के लिए विभाजित किए

जाने का प्रस्ताव हो वहां हॉल का गठन करने वाले प्रत्येक भाग को मजबूत सामग्री, अधिमानत: सीजीआई शीटों का इस्तेमाल करते हुए अस्थायी पार्टिशनों के द्वारा अलग किया जाएगा। जहां भवनों के मालिकों को फर्श पर खुदाई करने में आपत्ति हो, वहां दो तरफ से फिक्स्ड सीजीआई शीटों से युक्त एक उपयुक्त ठोस फ्रेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। सुनिश्चित किया जाने वाला बिंदु यह है कि आवश्यक पार्टिशनिंग के बाद प्रत्येक हॉल सभी चार तरफ से दीवारों से घिरा एक स्वतंत्र कमरा हो। किसी भी व्यक्ति के लिए यह भी संभव नहीं होना चाहिए कि वह हॉल से बाहर निकले बगैर एक से दूसरे हॉल में चला जाए। इसके अलावा, पार्टिशन इस तरह खड़ा किया जाना चाहिए कि पार्टिशनों के जरिए एक से दूसरे हॉल में कोई भी सामग्री खिसकाई जानी असंभव हो।

मतगणना हॉल में अनुमत व्यक्ति:

मतगणना हॉल के भीतर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी-

i. मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक, माइक्रो-प्रेक्षक;
ii. आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति (आयोग द्वारा विधिवत रूप से निर्गत प्राधिकार-पत्र का होना), और प्रेक्षक;
iii. निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक; और
iv. अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन एजेंट एवं मतगणना एजेंट

मतगणना शुरू होने से पहले आर.ओ. को देखना चाहिए कि मतगणना हॉल में कोई और व्यक्ति उपस्थित न हो।

मतगणना केन्द्रों के लिए सुरक्षापरक व्यवस्थाएं:

ईवीएम की उन संबंधित स्ट्राँग रूम के बीच में सुचारू आवाजाही होनी चाहिए जिनमें मतदान में प्रयुक्त ईवीएम मतगणना हॉलों में रखी गई हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त रास्ते की समुचित घेरेबंदी की जानी चाहिए ताकि स्ट्राँग रूम से लेकर विधान सभा क्षेत्र के मतगणना हॉल तक का पारवहन गैर-कर्मचारियों और मीडिया के लोगों की उपस्थिति से बाधित न हो। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा बाड़े के रास्ते अनधिकार प्रवेश करने को विधिवत रूप से दूर किया जाना चाहिए। दो अलग-अलग विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के रास्तों के बीच कोई आड़ा-तिरछा आवागमन नहीं होना चाहिए।

मतगणना परिसरों के भीतर अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के लिए सभी मतगणना परिसरों में त्रिस्तरीय घेराबंदी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। मतगणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि पैदल जोन के रूप में सीमांकित की जानी चाहिए। इस परिधि के भीतर किसी भी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सीमांकित जोन की उपयुक्त तरीके से घेरेबंदी की जानी चाहिए और परिसर में प्रवेश-द्वार की व्यवस्था करके उतरने का प्वांइट (पैदल प्रवेश प्वांइट की तरह) सुस्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिए। यदि सुरक्षित किए गए ऐसे जोन के रास्ते सार्वजनिक सड़क गुजरती हो तो मतगणना के दिन के लिए उपयुक्त यातायात डाईवर्जन प्लॉन पहले से ही तैयार किया जाना चाहिए। यह सिक्युरिटी रिंग का पहला घेरा होता हैं। यहां प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान की जांच करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्थानीय पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहला घेरा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो आयोग द्वारा विधिवत रूप से निर्गत प्राधिकार-पत्र या संबंधित डीईओ द्वारा निर्गत फोटो आई-कार्ड या मीडिया

पास के बगैर हो और जिसे उन्होंने अपने शरीर पर विधिवत रूप से नहीं लटकाया हो। भीड़ पर नियंत्रण करने तथा प्रवेश को विनियमित करने के लिए एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी।

दूसरा स्तर और मध्यवर्ती घेरा मतगणना परिसर के द्वार पर होगा। इसकी संबंधित राज्य के राज्य सशस्त्र पुलिस बल द्वारा पहरेदारी की जाएगी। दूसरे घेरे में लोगों को प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले सुरक्षा कर्मी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित तलाशी ली जानी चाहिए कि कोई भी निषिद्ध वस्तुएं जैसे माचिस, हथियार आदि भीतर न ढोए जाएं। तलाशी केवल राज्य पुलिस बल कार्मिक द्वारा ली जाएगी। महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिस कार्मिक/महिला होमगार्डों द्वारा ली जाएगी। उन्हें यह भी कहना चाहिए कि मोबाइलों/आई-पैड, लैप टॉप और सदृश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि को, जो ऑडियो/वीडियो रिकार्ड कर सकते हैं, मतगणना हॉल के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है और उन्हें इसे मीडिया या जन संचार कक्ष में रखने की जरूरत है। दूसरे घेरे पर तैनात बल यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मतगणना हॉलों के बाहर मटरगश्ती न करे और मोबाइल फोनों या अन्य संचार उपस्कर का इस्तेमाल नहीं करे **(**मोबाइल आदि का मतगणना केन्द्रों में यथा-पूर्वोक्त नामोद्दिष्ट कमरों से ही इस्तेमाल किया जा सकता है**)**।

तीसरा एवं भीतरी घेरा मतगणना हॉल के दरवाजे पर होगा। इसकी पहरेदारी अधिकांशत**:** केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों **(**सीएपीएफ**)** द्वारा की जाएगी। इस चरण में भी तलाशी की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतगणना हॉल के भीतर कोई भी मोबाइल फोन और अन्य निषिद्ध वस्तुएं न ले जाई जा सकें।

किसी भी मतगणना हॉल के भीतर मीडिया का कोई भी कैमरा-स्टिल या वीडियो **(**सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया की अधिकारिक रिकार्डिंग के लिए आधिकारिक वीडियो कैमरा के सिवाय**)** फिक्स किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, मीडिया और पत्रकारों द्वारा कोई भी कैमरा स्टैंड मतगणना हॉलों के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग द्वारा निर्गत मीडिया पास का धारण करने वाले प्रेस कर्मियों को हस्त-धारित कैमरे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मीडिया/प्रेस द्वारा हाथ में या कंधों पर ढोकर कैमरे के साथ मतगणना प्रक्रिया का श्रव्य-दृश्य कवरेज करते समय किसी भी परिस्थिति में एक एकल ईवीएम या मत-पत्रों पर दर्ज वास्तविक मतों की फोटोग्राफी या श्रव्य-दृश्य कवरेज के द्वारा कवरेज नहीं की जानी है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वह ठीक-ठीक लोकेशन, जिस तक मीडिया और प्रेस के स्टिल और वीडियो कैमरे मूव कर सकते हैं, समय रहते निर्दिष्ट किए जाने चाहिए, यह लोकेशन सभी संबंधितों के मार्गदर्शन के लिए एक रेखा या एक धागे के द्वारा चिह्नित की जानी चाहिए।

आयोग के प्रेक्षक के सिवाय किसी भी व्यक्ति **(**यहां तक कि अभ्यर्थी या आर**.**ओ**.**/ए**.**आर**.**ओ आदि भी**)** को मतगणना हॉल के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी, डीईओ/आरओ अभ्यर्थियों, उनके एजेंटों, मतगणना स्टॉफ आदि के लिए भी और एक रूम की व्यवस्था करेंगे ताकि कोई जरूरत पड़ने पर वे अपने मोबाइल फोनों का इस्तेमाल कर सकें।

सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अवश्य की जानी चाहिए। रिकार्डिंग की सीडी डीईओ की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। इस वीडियो कवरेज में यादृच्छिकीकरण प्रक्रिया, मतगणना हॉल व्यवस्थाएं, मतगणना हॉल में मतगणना की सामान्य प्रक्रिया, और रिटर्निंग अधिकारी की मेज पर सारणीयन की सामान्य प्रक्रिया, प्रेक्षकों द्वारा दो ईवीएम की प्रति-जांच की प्रक्रिया और मतगणना हॉल/केन्द्र में और बाहर सुरक्षापरक व्यवस्थाएं, मतगणना केन्द्रों में अभ्यर्थियों एवं उनके एजेंटों की मौजूदगी और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया, निर्वाचन में विजयी होने का प्रमाण-पत्र सौंपना, मतगणना के उपरांत ईवीएम को सीलबंद करना तथा मतगणना प्रक्रिया की कोई अन्य उल्लेखनीय घटनाएं, शामिल होंगी। वीडियोग्राफी में तारीख एवं समय दर्शाया जाना चाहिए तथा मतगणना प्रक्रिया के समाप्त होने के उपरांत असम्पादित वीडियो सीडी को, उसमे

अंतर्विष्ट सभी विवरणों पर सुस्पष्ट रूप से लेबल लगाते हुए, भावी संदर्भ के लिए सीलबंद किया जाना चाहिए। तदनुसार, मतगणना वाले दिन पर्याप्त संख्या में वीडियो टीमों की तैनाती की जाए।

इसके अलावा, आयोग ने मतगणना हॉल के लिए घेराबंदी व्यवस्थाएं और अन्य उपक्रमात्मक कार्य करते समय स्ट्राँग रूमों की सिक्युरिटी प्रोटोकॉल पर, विशेष रूप से पंजाब गोवा और मणिपुर के संबंध में अतिरिक्त अनुदेश भी जारी किए हैं। यदि कहीं भी मतगणना हॉल स्ट्राँग रूम के निकट है या मतगणना हॉल का रास्ता स्ट्राँग रूम के निकट है तो उपयुक्त सुदृढ़ घेराबंदी यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की जानी चाहिए कि स्ट्राँग रूम की भीतरी परिधि के प्रति अभिगम्यता पूरी तरह से बंद कर दी जाए। ऐसे सभी मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसी सभी व्यवस्थाओं का व्यक्तिगत रूप में निरीक्षण एवं अनुमोदन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम की सुरक्षा किसी भी तरीके से भंग नहीं हो। इसके अलावा, ऐसे सभी स्थानों में ऐसी लोकेशनों पर मतगणना व्यवस्थाएं करने से पहले सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं जहां आवाजाही के सभी घटनाक्रमों की रिकार्डिंग की जाए और अभ्यर्थियों द्वारा स्ट्राँग रूम के दरवाजों को चौबीसों घंटे देखने के लिए पहले से ही फिक्स्ड टीवी की बगल में रखे एक पृथक टीवी पर दर्शाए जाएं। मतगणना दिन के लिए, सीसीटीवी को प्रमुखता से अवश्य रूप में इस तरह रखा जाना चाहिए कि सीयू ढोने वाले कार्मिक की सभी प्रकार की आवाजाही कवर हो जाए और आर.ओ. की मेज पर रखे टी.वी. पर और अन्यत्र ऐसे स्थान में रखे टी.वी. पर प्रदर्शित किया जाए, जहां अभ्यर्थी, मतगणना एजेंट स्ट्राँग रूम से लेकर मतगणना हॉल तक की आवाजाही को भी देख सकें।

यदि मतगणना हॉल भवन कुछ दूरी पर या स्ट्राँग रूम से दूर एक पृथक भवन में अवस्थित हो तो उन मामलों में, स्ट्राँग रूम दरवाजे से मतगणना हॉल दरवाजे तक प्रभावी घेराबंदी ऐसे तरीके से की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) केवल उसके संबंधित मतगणना हॉल तक जाए और एक-दूसरे को आड़े-तिरछे नहीं काटे।

मतगणना की तारीख को ऐसी लोकेशनों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे संस्थापित किए जाएं जहां से प्रभावी अनुवीक्षण के लिए इन स्ट्राँगरूमों से ईवीएम को मतगणना हॉल तक ढोकर लाए जाने तक की रिकार्डिंग की जा सके।

पारदर्शिता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतगणना व्यवस्थाएं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के साथ साझा की जा सकती हैं।

ह०/-

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक